दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 26-08-2025

कोयला-फ्लाई ऐश परिवहन और नियम तोड़ने वालों पर करें सख्त कार्रवाई: कोर्ट

हाई कोर्ट के आदेश पर एसईसीएल और एनटीपीसी ने दिया शपथ पत्र

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि कोयला और फ्लाई ऐश ढोने वाले वाहनों को अब मंत्रालय की वर्ष 2021 में जारी अधिसूचना का अक्षरशः पालन करना होगा। यानी न तो कोई ट्रक बिना ढके सड़क पर चलेगा और न ही ओवरलोडिंग की अनुमति दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

सड़कों पर भारी वाहनों से होने वाली मौतों को लेकर दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एसईसीएल और एनटीपीसी से शपथ पत्र मांगा था। सोमवार को एसईसीएल की तरफ से बताया गया कि कंपनी से कोयला परिवहन करने वाले सभी ट्रकों को अब कम से कम 200 जीएसएम मोटाई के तिरपाल से ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है। इस तिरपाल का फटा या घिसा होना मंजूर नहीं होगा। खदान परिसर के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अब 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर ट्रक की फोटो-वीडियो डेट और टाइम स्टैम्प के साथ ली जा रही है। इसके अलावा वाहनों की पहचान स्पष्ट रहे, इसके लिए सामने की विंडस्क्रीन पर मालिक का नाम, ट्रक का विवरण और गंतव्य भी लिखा जाएगा। सीआईएसएफ को निर्देश दिया गया है कि बिना ढके कोई वाहन न निकलें। खदानों से बाहर निकलने वाली धूल और प्रदूषण रोकने के लिए पानी का छिड़काव और सफाई भी करें।

नया एसओपी जारी किया: एनटीपीसी

एनटीपीसी सीपत ने शपथ पत्र देकर बताया कि नया एसओपी जारी किया गया है। सभी ट्रांसपोर्टरों को लिखित निर्देश दिए हैं कि बिना तिरपाल वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। 28 जुलाई को बैठक कर ट्रांसपोर्टरों को कड़ी चेतावनी दी गई। सभी वाहनों पर अब 200 जीएसएम तिरपाल अनिवार्य कर दिया गया है। ओवरलोडिंग रोकने के लिए तीन डिजिटल वेट ब्रिज लगाए गए हैं और सीसीटीवी व कैमरे से हर वाहन की निगरानी की जा रही है। गाड़ियों की एंट्री और एग्जिट के समय फोटो ली जाती है और राख उड़ने से पहले वाहन की धुलाई भी की जाती है। हर ट्रक पर ट्रिप शीट चिपकाई जा रही है जिसमें मालिक, ट्रांसपोर्टर और गंतव्य का नाम दर्ज रहता है।